राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक : F7( )Training/ICDS/09/ जयपुर दिनांक :

उपनिदेशक (बाल विकास),
समेकित बाल विकास सेवाएँ,
समस्त।

विषय:-**आंगनबाड़ी केन्द्र जो किराये/निजी/खुले स्थानों पर चल रहे हैं, उनको प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालय में अतिरिक्त कक्ष उपलब्ध करवाने के क्रम में।**

2009-10 के बजट में घोषणा की गई थी कि ऐसे आंगनबाड़ी केन्द्र जो निजी भवनों, किराये के भवनों एवं खुले स्थानों में चल रहे हैं, उनके लिए प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक अतिरिक्त कक्ष का आंवटन किया जाये।

इस संबंध में आपको पूर्व में भी विभागीय पत्र क्रमांक 44952 दि0 17.7.08, 49943-974 दि0 13.8.08, 51704-734 दि0 25.8.08 68208-241 दि0 24.11.08, 37146-178 दि0 8.6.09 एवं 50704-736 दिनांक 27.07.09 के द्वारा सूचित किया जा चुका था। किन्तु अभी तक आपके द्वारा कोई सार्थक कार्यवाही नही की गई है।

आपको पुनः सूचित किया जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा की गई बजट घोषणा को हर हालत में समयबद्ध तरीके से क्रियान्वित करना है। आप अपने जिले के ऐसे आंगनबाड़ी केन्द्र जो कि किराये/निजी/खुले स्थान में चल रहे हैं और वे किसी प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय में स्थानान्तरित किये जा सकते है। ऐसे विद्यालयों की 2 सूचियां बनाये जिसमें एक सूची ऐसी हो जहां पर विद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष उपलब्ध हो तथा दूसरी सूची में जहां कक्ष उपलब्ध नही हो, वहां बनाना है।

कृपया ध्यान रखे कि आपके दिये गये प्रस्तावों के अनुसार इस वर्ष नये आंगनबाड़ी केन्द्र भी खोले जायेगें। अतः इन आंगनबाड़ी केन्द्रों को भी प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एक अतिरिक्त कक्ष उपलब्ध कराना है। अतः उन्हें भी सूची में शामिल करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा को भेजे।

कृपया इन दोनो सूचियों को जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा को भेजकर विद्यालय में एक अतिरिक्त कक्ष उपलब्ध कराने के आदेश जारी करावें और वहां आंगनबाड़ी केन्द्र को स्थानान्तरित कर इस कार्यलय को सूचित करें। **ध्यान रहे विद्यालय में कक्ष उपलब्ध होने पर ही केन्द्र स्थानान्तरित करें।** जिन विद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष नहीं है, वहां अतिरिक्त कक्ष बनाने की मांग जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा से उच्च अधिकारियों को भिजवायें। जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा को भिजवायी गयी दोनों सूचियों की प्रति निदेशालय को भी भिजवाना सुनिश्चित करें।

ध्यान रहे यह कार्य 15 अक्टूबर, 09 तक आवश्यक रूप से पूर्ण हो जाना चाहिए।

-Sd-
निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : F7( )Training/ICDS/09/ 63577-595 जयपुर दिनांक : 17/9/09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सहायक, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
4. प्रोग्रामर, मुख्यालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर डालने के क्रम में।

परामर्शद् (प्रशिक्षण एवं संचार)